UPBS010045002022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02, जनपद–बस्ती।

पीठासीन अधिकारी–(श्रीमती जेबा, अपर सत्र न्यायाधीश, UP02647)

सत्र परीक्षण संख्या–937/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

1– अमित सोनकर पुत्र बाबूलाल,
2– अजीत सोनकर पुत्र बाबूलाल
3– जितेन्द्र सोनकर पुत्र विजय नाथ
साकिनान वरहापुर काजी, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती।

...........अभियुक्तगण

अपराध संख्या–339/2018
धारा–60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा0 दं0 सं0
थाना–परसरामपुर, **जिला**– बस्ती

निर्णय

01– **अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर, जितेन्द्र सोनकर** के विरूद्ध थाना परसरामपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–339/2018, में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अंतर्गत धारा 60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा0 द 0 सं0, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, बस्ती, के न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिनके द्वारा मामलें का संज्ञान लिया गया। दिनांक 03–10–2022 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बस्ती, द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण, अभियुक्तगण की पत्रावली को विचारण हेतु विद्वान सत्र न्यायाधीश, बस्ती के न्यायालय को सुपुर्द की गयी। तत्पश्चात् पत्रावली अंतरण के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई ।

02– **संक्षेप में अभियोजन कथानक** :–इस प्रकार है कि दिनांक 31–10–2018 को वादी उप निरीक्षक राम वशिष्ठ, एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराही कर्मचारी हेड कां० धीरेन्द्र राय थाना हाजा से बिनावर देखभाल क्षेत्र सरकार में ग्राम पडरी बाबू में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि तीन व्यक्ति ग्राम बरहपुर

Digitally signed by ZAIBA MAJID
Date: 2025.03.11 11:13:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

काजी में जितेन्द्र सोनकर के घर के पीछे भट्ठी पर कच्ची शराब बना रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर हस्बुल तलब महिला का० प्रियंका त्रिपाठी व का० अभिषेक सिंह को बुलाया गया, जो बरहपुर काजी मोड़ पर आकर मिले, मकसद से अवगत कराते हुए मय मुखबिर मय हमराही कर्मचारीगण के मुखबिर के बताये गये स्थान की तरफ चल दिये। जितेन्द्र सोनकर के घर से करीब 200 मी0 पहले अपनी साधन खड़ी कर लुकते छिपते हुए आगे बढ़े कि मुखबिर जलती भट्ठी की तरफ इशारा कर के बुराई भलाई का वास्ता देकर हट बढ गया। हम पुलिस वाले मौजूद आड़ का सहारा लेते हुए नजदीक पहुंचे तो देखे कि भट्ठी के उपर दो पतीला तथा उसमे से एक पाइप लगी हुई दूसरे पतीला से लगा है। भठठी मे एक व्यक्ति लकड़ी लगा रहा है तथा दो अन्य व्यक्ति भठठी के पास पिपिया लिए बैठे है हम पुलिस वालो को पूरा विश्वास हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसे मूखबीर खास ने बताया था। हम पुलिस वाले आड़ का प्रयोग करते हुए नजदीक से नजदीक पहुंचकर एक बारगी धावा बोल कर आगे बढ़े कि दो व्यक्ति प्लास्टिक की पिपिया तथा एक व्यक्ति प्लास्टिक की पन्नी को लेकर भागे कि हिकमत अमली से तीनो व्यक्तियो को मौके से पकड़ लिया गया पकडे गये व्यक्तियो की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक प्लास्टिक की पिपिया मे (दाहिने हाथ) 10 ली0 तरल दव्य भरा हुआ बरामद हुआ, उसने अपना नाम अमित सोनकर पुत्र बाबूलाल सोनकर नि०ग्राम बरहपुर काजी, थाना परसरामपुर, बस्ती बताया तथा दूसरे की जामा तलाशी से उसके बाये हाथ में 20 ली० भरा तरल दव्य प्लास्टिक की पिपिया बरामद हुई, उसने अपना नाम जितेन्द्र सोनकर पुत्र विजय नाथ सोनकर नि०ग्राम बरहपुर काजी, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती बताया तथा तीसरे की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ मे प्लास्टिक की दो पन्नी मे क्रमश लगभग 1 किलो यूरिया तथा एक पन्नी मे 500 ग्राम नौशादर बरामद हुआ। तरल दृव्य के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि साहब ये अपमिश्रित कच्ची शराब है। पिपियो के ढक्कन को खोलकर सूघा व सूंघाया गया तो तीक्ष्ण गंध आ रही है तथा यूरिया और नौसादर के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि कि साहब हम लोग यूरिया तथा नौसादर मिलाकर शराब बनाते है तथा बरामद शराब में भी मिलाया गया है, क्योंकि इस मिश्रित शराब की ज्यादा मांग रहती है। शराब बनाने व रखने के सम्बन्ध में तीनो से अधिकार पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहे। बार बार अपनी गलती मान कर माफी मांग रहे है अभियुक्तगण उपरोक्त को यह कार्य अन्तर्गत धारा 60 (2)/63 Ex ACT व 272 IPC का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए बरामद माल व अभियुक्तगण को समय 9.30 बजे हिरासत कब्जा पुलिस लिया गया तथा यूरिया और नौसादर जो अभियुक्त अजीत पुत्र बाबूलाल सोनकर से बरामद माल को जरिए का० अभिषेक सिंह द्वारा भेज कर वजन कराया गया तो यूरिया 950 ग्रा0 व नौशादर 500 ग्रा0 पाया गया मौके पर हीबरामद लहन करीब 800 ली0 नष्ट कराया गया तथा शराब बनाने के उपकरण कब्जा पुलिस लिया गया। बरामद अपमिश्रित शराब मे से बतौर नमूना एक लीटी की प्लास्टिक की बोतल मे रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा शेष बरामद माल को सील सर्व मोहर किया गया। बरामद यूरिया और नौशादर को उसी पन्नी मे रख कर अलग–अलग कपडे में

रख कर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

03– उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाने पर अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर, जितेन्द्र सोनकर के विरुद्ध अपराध सं0–339/2018, अंतर्गत धारा–60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया। गवाहों के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. अंकित किये गये तथा अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलित किया गया और अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर, जितेन्द्र सोनकर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अंतर्गत धारा 60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा.दं.सं. न्यायालय में दाखिल किया गया।

04– अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत कर आवश्यक अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां देने के बाद अभियोग सत्र सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त माननीय सत्र न्यायालय द्वारा उक्त अभियोग इस न्यायालय को हस्तगत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा उक्त अभियोग का विचारण किया गया।

05– अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर, जितेन्द्र सोनकर के विरूद्ध दिनांक 06–12–2022, को धारा–60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया परन्तु अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

06– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परिक्षित कराये गये हैं–

P.W.–1	उप निरीक्षक श्रीराम वशिष्ठ	पुलिस साक्षी
P.W.–2	उप निरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप सिंह	पुलिस साक्षी
P.W.–3	उप निरीक्षक राजीव सिंह	पुलिस साक्षी
P.W.–4	हेड कां० रविन्द्र कुमार	पुलिस साक्षी

07– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित कागजात दाखिल किए गए हैः–

प्रदर्श क– 1	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त
प्रदर्श क–2	फर्द बरामदगी
प्रदर्श क–3	नक्शानजरी

प्रदर्श क–4	आरोप पत्र
प्रदर्श क–5	चिक एफ.आई.आर.
प्रदर्श क–6	कायमी जी.डी.
प्रदर्श क–7	डाकेट
प्रदर्श क–8	विधिविज्ञान प्रयोगशाला आख्या

08– दिनांक 03–09–2024 को अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक व फर्द बरामदगी फर्जी होना कहते हुए अपने पास से कोई शराब की बरामदगी नहीं होना कहा है और पुलिस साक्षीगण द्वारा गलत व झूठा बयान दिया जाना कहा है तथा विधिविज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त आख्या के संबंध में कहा है कि पुलिस द्वारा गलत प्रपत्र तैयार करके गलत प्राथमिकी को पुष्टि करने के लिए कहा है तथा पत्रावली में दाखिल डाकेट व विधिविज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के कन्टेन्स को स्वीकार किया है एवं अपने विरुद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहते हुए कहा है कि प्रार्थी को घर से पकड़कर लाकर फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है एवं अपने को निर्दोष होना कहा है। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

09– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराए गए है।

अभियोजन साक्षी सं0–1 उप निरीक्षक श्रीराम वशिष्ठ, वर्तमान तैनाती थाना कोतवाली जिला खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 31–10–2018 को मैं थाना परसरामपुर जनपद बस्ती बतौर उ.नि. के पद पर तैनात था दिनांक 31–10–2018 को मैं मय हमराहि हेड कां. विरेन्द्र राय व एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह में साथ थाना मुकामी से देख भाल क्षेत्र ग्राम पडरी बाबू में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की तीन व्यक्ति ग्राम बरहपुर माजी में जितेन्द्र सोनकर के घर में पीछे भट्टी पर कच्ची शरब बना रहे है, जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है। सूचना पर विश्वास कर हस्बुल तलब महिला कान्सटेबिल प्रियंका त्रिपाठी व कान्सटेबिल अभिषेक को बुलाया गया, जो ब्रहपुर माजी मोड़ पर आकर मिले, मकसद से अवगत कराते हुए मय मुखबिर खास मय हमराहियान ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिये। जितेन्द्र सोनकर के घर से करीब 200 मीटर पहले अपने साधन खड़ाकर लुकते छिपते हुए आगे बढ़े कि मुखबिर जलती भट्टी की तरफ इशारा करके हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले मौजूद आड़ का सहारा लेते हुए नजदीक पहुँचे तो देखे कि भट्टी के ऊपर दो पतीला तथा उसमें से एक पाइप लगी हुई दूसरे पतीला से लगा है। भट्टी में एक व्यक्ति लकड़ी लगा रहा था तथा दो अन्य व्यक्ति भट्ठी के पास पिपिया लेये बैठे थे। हम पुलिस वालों के विश्वास हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसे मुखबिर खास ने बताया था

हम पुलिस वाले झाड़ का प्रयोग करते हुए नजदीक से नजदीक पहँचे कर एकबारगी धावा बोलकर आगे बढे कि दो व्यक्ति प्लास्टिक की पिपिया तथा एक व्यक्ति प्लास्टिक की पन्नी को लेकर भागे कि हिक्मत अमली से तीनो व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति के हाथ से प्लास्टिक के पिपिया में 10 लीटर द्रव्य बरामद हुआ तथा अपना नाम अमित सोनकर पुत्र बाबुलाल सोनकर, निवासी बरहपुर माजी, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती बताया। दूसरे व्यक्ति के जामा तलाशी से उसके बाए हाथ से 20 लीटर भरा तरल द्रव्य प्लास्टिक की पिपिया में बरामद हुआ और अपना नाम जितेन्द्र सोनकर पुत्र विजय नाथ सोनकर, निवासी बरहपुर माजी, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती बताया। तीसरे व्यक्ति की जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ में प्लास्टिक की दो पन्नी में क्रमशः लगभग एक किला यूरिया तथा एक पन्नी में 500 ग्राम नौसादर बरामद हुआ। बरामद तरल द्रव्य के संबंध में पूछने पर बताए कि यह अपमिश्रित कच्ची शराब है पिपियों के ढक्कन को खोलकर सूंधा गया, सूंघाया गया तो शराब की तीक्ष्ण गंध आ रही थी। यूरीया व नौसादर के संबंध में पूछने पर बताए कि हम लोग यूरिया तथा नौसादर मिलाकर शराब बनाते है तथा बरामद शराब में भी मिलाया गया है क्योकि इस मिश्रित शराब की ज्यादा मांग रहती है। शराब बनाने व रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखा नहीं रहा था अपनी गलती मान कर माफी मांग रहे थे। अभियुक्तगण उपरोक्त को यह कार्य अंतर्गत धारा 60(2),63 आयुध अधिनियम व 272 भा.दं.सं. का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए बरामद माल व अभियुक्तगण को समय 9.30 बजे हिरासत/कब्जा पुलिस से लिया गया था। यूरिया और नोसादर जो अभियुक्त अजीत पुत्र बाबू लाल सोनकर से बरामद माल को जरिए आरक्षी अभिषेक सिहं द्वारा भेज कर वजन कराया गया तो यूरिया 950 ग्राम तथा नौसादर 500 ग्राम पाया गया था मौके पर से बरामद लहन करीब 800 लीटर को नष्ट कराया गया। शराब बनाने के उपकरण कब्जा पुलिस लिया गया था बरामद अपमिश्रित शरबा ३० लीटर में ए बतौर नमूना माल एक लीटर प्लास्टिक के बोतल में रखकर सील सर्व मोहर किया गया था। बरामद यूरिया और नौसादर को उसी पन्नी में रख सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवा अधिकार आयोग द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिये गये आदेशों निर्देशो का पालन किया गया था। जनता के साक्षी का गवाह लिये जाने का प्रयास किया गया परन्तु कोई गवाही देवे को तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर लिखकर पढकर सुनाकर सर्वसंबंधित आलामात बुलवाए गये थे। गिरफ्तारी प्रपत्र कागज संख्या 3क/12 संलग्न पत्रावली है मेरे सामने है मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ जिस पर मेरे अलावा कां. धीरेन्द्र राय व कां. अभिषेक सिंह, एस.आई. राघवेन्द्र सिहं व महिला कां. प्रियंका तिवारी तथा अभियुक्तगण जितेन्द्र, अमित व अजीत के हस्ताक्षर है, जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-01 डाला गया. फर्द की एक प्रति अभियुक्तगणों को देकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द कागज संख्या 3क/8 संलग्न पत्रावली है मेरे सामने है मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसपर मेरे अलावा संबंधित पुलिस वालों व

अभियुक्तगणों के हस्ताक्षर है जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक महोदय ने मामले के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान अंकित किया था।

अभियोजन साक्षी सं0–2 एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, वर्तमान तैनाती स्थल थाना घौरहरा, जनपद लखीमपुर ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10–10–2018 को मै। थानापरसरामपुर पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को एस.आई. राम वशिष्ठ के हमराही के रूप में अन्य आरक्षियो के साथ ग्राम पड़री बाबू में हम लोग उपस्थित थे। उसी समय एस.आई. राम वशिष्ठ को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि तीन व्यक्ति ग्राम बहरपुर काजी में जितेन्द्र सोनकर के घर के पीछे भट्ठी पर कच्ची शराब बना रहे है। इस सूचना पर एस.आई. राम वशिष्ठ द्वारा हम लोगो और मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर चल देये और जितेन्द्र सोनकर के घर के करीब 200 मीटर पहले अपने–अपने साधनों को खड़ा कर लुकते दिपते आगे बढ़े, फिर मुखबिर खास ने इशारा करके जलती हुई भट्ठी को दिखाया और वहां हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले लुकते छिपते नजदीक पहुँचे तो देखा की भट्ठी के उपर दो पतीला चढ़ा है तथा उसमें से एक पाइप लगी हुई है। एक व्यक्ति भट्ठी में लकड़ी लगा रहा है तथा दो अन्य व्यक्ति भट्ठीके पास पिपिया लिए बैठे है। हम पुलिस वालो ने एकबारगी धावा बोलकर आगे बढ़े तो दो व्यक्ति प्लास्टिक की पिपिया लेके एवं एक व्यक्ति पन्नी लेकर भागे कि हिकतम अमली से तीनो व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों की जामातलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ से 10 लीटर तरल द्रव्य पद्वार्थ भरा हुआ बरामद हुआ, उसने अपना अमित सोनकर पुत्र बाबूलाल, निवासी बरहपुर काजी, थाना परसरामपुर, बताया तथा दूसरे की जामातलाशी ली गयी तो उसके बाये हाथ 20 लीटर भरा तरल द्रव्य प्लास्टिक की पिपिया से बरामद हुआ, उसने अपना नाम जितेन्द्र सोनकर पुत्र वियजय नाथ सोनकर, निवासी बरहपुर, काजी, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती बताया तथा तीसरे की जामातलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से प्लास्टिक की दो पन्नी जिसमें एक किलो यूरिया, दूसरे में 500 ग्राम नौसादर बरामद हुआ। उसने अपना नाम अजीत सोनकर पुत्र बाबूलाल सोनकर, निवासी बरहपुर काजी बताया। पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद शराब व यूरिया नौसादर के संबंध में पूछताछ की गयी तो बताया कि यह अपमिश्रित कच्ची शराब है, इसमें यूरिया व नौसादर हम लोग मिलाते है जिससे इस शराब की मांग ज्यादा रहती है। पकड़े गये तीनो व्यक्तियों से शराब बनाने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों का यह कृत्य जुर्म धारा 60(2),63 आबकारी अधिनियम व 272 भा.दं.सं. का पाये जाने पर उन्हें पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 31–10–2018 को समय 9.30 मिनट पर गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया था। मौके पर फर्द उप निरीक्षक राम वशिष्ठ द्वारा तैयार किया गया, जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूॅ। फर्द पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क –2 पत्रावली में संलग्न है।

अभियोजन साक्षी सं0–3 उप निरीक्षक राजीव सिंह, वर्तमान तैनाती स्थल थाना कोतवाली जनपद संतकबीर नगर ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31–10–2018 को मैं थाना परसुरामपुर का उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। थाना परसुरामपुर अंकित अपराध सं० 339/18 धारा 60 (2) 63, आबकारी अधिनियम व 272 भां.दं.सं. की विवेचना दिनांक 31–10–2018 को ग्रहण किया पर्चा नं० 1 किता किया, जिसमें नकल चिक नकल रपट का उल्लेख करने के बाद चिक लेखक कां०मो० रविन्द्र कुमार का बयान लेने के बाद अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर, जितेन्द्र सोनकर का बयान अंकित किया। दिनांक 2–11–2018 पर्चा नं० 2 किता किया जिसमें मैंने मुकदमा वादी एस.आई. राम वशिष्ठ एस.आई. राघवेन्द्र प्रसाद का बयान लेने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके का मानचित्र तैयार किया। मानचित्र पेपर न० 3क/3 पत्रावली में संलग्न है। जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है। जिसे मैं सत्यापित और प्रमाणित करता हूँ। प्रदर्श क–3 डाला गया है। दिनांक 10–11–2018 को पर्चा नं० 3 किता किया, जिसमें मैंने फर्द के गवाह हे०का० विरेन्द्र राय तथा कां० अखिलेश सिंह महिला आरक्षी प्रेमिका त्रिपाठी का बयान लिया। दिनांक 23–11–2018 को पर्चा नं० 4 किता किया। जिसमें मैंने मामले से सम्बन्धित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणासी भेजा गया था, के प्राप्ति का उल्लेख केश डायरी में किया तथा अभियुक्त के विरुद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र पेपर नं० 3 क/1 पत्रावली में संलग्न है। जो मेरे कम्पूयटर प्रति है। जिसे मैंने थाने पर तैनात सी.सी. टी.एन.एस. से तैयार करवाया। इसपर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है, जिसे मैं सत्यापित और प्रमाणित करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट हेतु अनुस्मारक पत्र भेजे जाने का उल्लेख पर्चा नं० 1 में दिनांक 9–06–2019 को मैंने किया।

अभियोजन साक्षी सं0–4 हेड कां० रविन्द्र कुमार, थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि में दिनांक 31–10–2018 को थाना परसरामपुर पर कां०मो० के पद पर तैनात था। उस दिनांक को समय 11.37 बजे फर्द बरामदगी के आधार पर थाना परसरामपुर पर अ०सं०–339/2018, धारा 60(2),63 आबकारी अधिनियम 272 भा.द.स. की चिक प्रथम सूचना मैंने थाने पर तैनात सी.सी.टी.एन.एस से बोलकर कम्प्यूटर पर तैयार कराया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 3क/6 संलग्न है. जिसपर तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज कु० गुप्ता का हस्ताक्षर बना है, जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। उक्त अपराध की आमद जीडी कायगी मुकदमा में उक्त दिनांक को समय 11.37 बजे रपट नम्बर 20 के द्वारा किया था। जीडी कायनी मुकदमा के कम्प्यूटर प्रति कागज संख्या 3क/11 पत्रावली में संलग्न है, जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया।

10– **<u>प्रस्तुत किये गये तर्क:</u>–** विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमित सोनकर के कब्जे से 10 लीटर, अजीत सोनकर के कब्जे से 20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, तथा अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर के कब्जे से 1 किलो यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद हुआ, जिसका वे अपमिश्रण कर रहे थे, जिससे कि उक्त शराब मानव उपयोग के लिए हानिकारक हो जाए। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा इनके बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा.दं.सं. का अपराध साबित होता है।

11– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के कब्जे से की गयी बरामदगी फर्जी है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में बरामदगी को लेकर घोर विरोधाभास है। सभी साक्षी पुलिस साक्षी है तथा जनता के किसी स्वतन्त्र साक्षी को बरामदगी के समय विवेचक द्वारा विवेचना में शामिल नहीं किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से बरामद माल के मानव जीवन के लिए हानिकारक होने का तथ्य सिद्ध नहीं होता है। उक्त तर्को के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

12– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

13– **प्रस्तुत अभियोग के सुगम निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न निर्धारित किये जाते हैः–**

1– क्या अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद शराब में परीक्षणोपरान्त यूरिया व नौसादर का अपमिश्रण पाया गया तथा उनके द्वारा यूरिया व नौसादर का अपमिश्रण कर मानव जीवन के लिए अपायकर बनाया गया ?

2– क्या अभियुक्तगण के कब्जे से अपमिश्रित शराब, यूरिया व नौसादर बरामद हुआ, जिन्हें रखने व बेचने हेतु वह अधिकृत नहीं थे?

14– **<u>अपराध अंतर्गत धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा.दं.सं:</u>–** अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, अतः इन धाराओं के आवश्यक तत्वों को जानना जरूरी है। धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम बिना वैध प्रपत्र के मादक द्रव रखने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। धारा 272

भा.दं.सं. खाद्य या पेय अपमिश्रित कर अपायकर बनाने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, अतः इस स्तर पर सुलभ संदर्भ के लिए धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा.दं.सं. का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है।

धारा 60 आबकारी अधिनियम अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्तिः–'' *(1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लेघन करके–*

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है; अथवा

(ख)इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है; अथवा

(ग)स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक ओषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वत: उपज वाले जंगली भारतीय भांग(केनेबिस सेटाइवा)के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल(जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है) का संग्रह या विक्रय करता है; अथवा

(घ)कोई आसवनी, यवासवनी, विनिर्माणशाला या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(ड़)किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; अथवा

(च)इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; अथवा

(छ)विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; अथवा

(ज)धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है,

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो उपखण्ड(झ) के अधीन *किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उद्ग्रहणीय होती के दस गुने या दो हजार रूपये से भी अधिक हो, से कम न होगी।''*

<u>धारा 63 मादक वस्तु के अवैध आयात के लिये शास्तिः</u>–''जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पांच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधीनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाईसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।''

<u>धारा–272 भा.दं.सं.– विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रणः</u>–*'' जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जायेगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाये, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।''*

उत्तर प्रदेश अमेंण्डमेंन्ट एक्ट 47/1975 जो कि 15–09–1975 से लागू हैं, में सजा, जो कि पूर्व में छः माह तक थी, को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक बढ़ा दिया गया है व जुर्माने की अधिकतम सीमा भी हडा दी गई है, परन्तु न्यायालय अगर चाहे, तो पर्याप्त एवं विशेष कारण का उल्लेख करते हुए आजीवन कारावास से कम कारावास की सजा भी सुना सकता है।

15– दौरान विचारण न्यायालय में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 के द्वारा पुलिस कब्जे में ली गयी अपमिश्रित शराब को न्यायालय में प्रस्तुत कर किसी भी गवाह द्वारा उसे सिद्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय में माल मुकदमा दौरान विचारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही यह तथ्य कि माल मुकदमा नियमानुसार नष्ट कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सिद्ध किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस मालखाना मोहर्रिर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। मालखाना मोहर्रिर के बयान के अभाव में अभियोजन यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण से बरामद वस्तु मालखाना में जमा की गयी अथवा नहीं।

16– अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्त अमित सोनकर के कब्जे से 10 लीटर व अजीत के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब तथा जितेन्द्र सोनकर के कब्जे से दो पन्नी में क्रमशः एक किलो यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद हुया है,

जिसे रखने का उसके पास कोइ वैध प्रपत्र नहीं था तथा उपरोक्त बरामद अवैध शराब उनके द्वारा विक्रय हेतु तैयार की गयी थी, जिसे अपमिश्रित किया गया था जिस कारण वह पेय के रूप में अपायकर बन गयी थी। बरामदगी के तथ्य को सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.–1 एस.आई. श्रीराम वशिष्ठ व पी.डब्लू.–2 एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.01 ने कथन किया है कि बरामद लहन नष्ट किया गया, शराब बनाने के उपकरण कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामद 30 लीटर अपमिश्रित शराब में से बतौर नमूना माल 01 लीटर प्लास्टिक की बोतल में रखकर सील सर्वमोहर किया गया। बरामद यूरिया और नौसादर को उसी पिन्नी में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार की गयी। पी.डब्लू.02 ने बरामद अपमिश्रित शराब, यूरिया व नौसादर को मौके पर सील करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार पी.डब्लू.–1 के बयान से यह स्पष्ट है कि तथाकथित बरामद माल को सील किया गया था तथा नमूना मोहर तैयार की गयी थी परन्तु, वह नमूना मोहर न तो पत्रावली में संलग्न है और न ही दौरान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी और न ही किसी साक्षी से प्रमाणित करायी गयी। पी.डब्लू.01 ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सील किसकी थी, जिससे बरामदशुदा माल को सील किया गया था, न ही यह कथन किया है कि सील बाद इस्तेमाल किसको दी गयी, जिससे सील के दोबारा इस्तेमाल कर माल मुकदमा में टैम्परिंग के तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सील का कोई हैंडिंग ओवर मेमो भी नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि मौके से बरामद माल को कपड़े में रखकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया किन्तु, अभियोजन द्वारा नमूना सील/मोहर न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं की गयी है। बरामदशुदा माल की सील मोहर तथा सील सर्वे नमूना मोहर का मिलान भी न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है। पी .डब्लू.03 उप निरीक्षक राजीव सिंह(विवेचक) ने अपने जिरह में कथन किया है कि बरामदगी के अगले दिन मैंने बरामद माल को थाना माल खाने में देखा था। मुझको बरामद माल शिनाख्त वादी मुकदमा ने करायी थी। यदि माल सील था तो विवेचक ने माल कैसे देख लिया और कैसे इसकी शिनाख्त हुयी। उपरोक्तवर्णित विश्लेषण से अभियुक्तगण से कोई माल बरामद होना सन्देहपूर्ण प्रतीत होता है।

17a– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति को बरामदगी का साक्षी नहीं बनाया गया है।

17b– दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु सभी ने इंकार किया तथा यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस साक्षी विश्वसनीय साक्षी है तथा उनके साक्ष्य पर भी दोषसिद्ध की जा सकती है।

17c– इस संबंध में निम्नलिखित विधिव्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना प्रासांगिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था **Hemraj Vs State of Haryana AIR 2005 SC 2110** प्रस्तुत की गयी है, जिसमे प्रतिपादित किया है कि –*the fact that no independent witness though available, was examined and not even an explanation was sought to be given for not examining such witness is a serious infirmity in the prosecution case..* इसी प्रकार बचावपक्ष की ओर से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Roop Chand Vs State of Haryana, 1999(1) C.L.R. 69** उद्धृत की गयी है, जिसमें उक्त माननीय उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि –*It is well settled principle of the law that the investigating Agency should join independent witnesses at the time of recovery of contraband articles, if they are available and their failure to do so in such a situation casts a shadow of doubt on the prosecution case*.

18– प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। यद्यपि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि पुलिस साक्षी भी विश्वसनीय साक्षी है परन्तु यदि घटनास्थल पर जनता के स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध हैं, तो विवेचक को उन्हें गवाह बनाने के लिए किए गए प्रयासों को साबित करना होता है। अभियोजन का यह कथानक है कि मुखबिर खास द्वारा दी गयी सूचना के अनुक्रम में पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुँची थी, जहाँ अभियुक्त को अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में रिकवरी, चान्स रिकवरी नहीं है तथा विवेचक के पास यह पर्याप्त अवसर था कि वह जनता के साक्षियों को रिकवरी के समय गवाह बना सकते थे। विवेचक ने मात्र यह कथन किया है कि जनता के व्यक्तियों को विवेचना में शामिल होने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने मना कर दिया, परन्तु विवेचक ने ऐसे लोगो का नाम पता नोट नहीं किया, जिन्होंने गवाह बनने से इन्कार किया, न ही पत्रावली पर कोई नोटिस अंतर्गत धारा 41 दं.प्रं.सं. लगाया है, जिससे स्पष्ट हो कि किन जनता के व्यक्तियों को गवाह बनाने के लिए विवेचक द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटनास्थल पर जनता के स्वतन्त्र साक्षियों को गवाह बनाने का कोई प्रयास विवेचक द्वारा नहीं किया गया। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी न होने से अभियोजन कथानक को समर्थन नहीं मिलता है।

19– अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.–1 एस.आई. श्रीराम वशिष्ठ व पी.डब्लू.–2 एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह के घटनास्थल पर गश्त की डयूटी पर होने के तथ्य को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य अर्थात डयूटी रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.–1 एस.आई. श्रीराम वशिष्ठ व पी.डब्लू.–2 एस.आई. राघवेन्द्र प्रताप सिंह की घटना की दिनांक को थाने से रवानगी व थाने वापस आने की कोई जीडी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

20– **अपराध अंतर्गत धारा 272 भा.दं.सं.:–** अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होने कच्ची शराब में यूरिया व नौसादर मिलाकर उसे बेचने के उद्देश्य से अपमिश्रित किया। धारा 272 भा.दं.सं. के अपराध के लिए आवश्यक है कि खाद्य व पेय के रूप में बेचे या सम्भाव्य जानते हुये कि वह खाद्य व पेय के रूप में बेची जायेगी इस प्रकार अपमिश्रित किया कि वह खाद्य व पेय के रूप में अपायकर बन गयी। अभियोजन द्वारा बरामद शराब के अपमिश्रित होने तथा अपमिश्रण के कारण इसके पेय के रूप में अपायकर बन जाने के तथ्य को सिद्ध करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को किसी साक्षी को तलब करके साबित नहीं कराया गया है अपितु धारा 293 दं.प्र.सं. के अंतर्गत साबित कर प्रदर्श क–8 डाला गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–8 के परिशीलन से विदित है कि इसमें यह परीक्षण परीणाम अंकित है कि *उक्त बरामद अवैध अपमिश्रित शराब के परीक्षण हेतु भौतिक व रासायनिक विधियाँ प्रयोग किए जाने पर नमूने में* एल्कोहल *की प्रतिशत मात्रा 20.0 आयतन पायी गयी। नमूने में यूरिया व अमोनियम क्लोराइड (नौसादर) के परीक्षण परिणाम सकारात्मक पाये गये।* धारा 272 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि किसी खाद्य या पेय पदार्थ में इस प्रकार अपमिश्रण किया गया कि वह वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जायें। अभियोजन का यह कथन है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण से शराब के बारे में पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया कि इसमें यूरिया व नौसादर मिलाया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क –8 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि यूरिया व नौसादर के परीक्षण परिणाम सकारात्मक पाये गये परन्तु यूरिया व नौसादर की मात्रा इसमें अंकित नहीं है ना ही यह तथ्य अंकित है कि इस अपमिश्रण के कारण यह मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रतिकूल रूप से मानव जीवन को प्रभावित करता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नमूनें में मात्र 20 प्रतिशत एल्कोहल पाया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि नमूना शराब जिसका रासायनिक विश्लेषण किया गया वह मानव उपभोग के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में यह तथ्य अंकित नहीं है कि जांच के लिए प्राप्त माल पर किसकी सील लगी हुयी थी और यह तथ्य भी अंकित नहीं है कि भेजे गये माल के साथ जो नमूना सील भेजी गयी थी उससे मिलान हो रहा था या नहीं। अभियोजन पक्ष द्वारा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने की कोई रसीद दाखिल नहीं की गयी है न ही इस तथ्य की कोई जी.डी. प्रविष्टि प्रस्तुत कर साबित करायी गयी है। अभियोजन द्वारा उस व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके माध्यम से बरामदशुदा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नौसादर व यूरिया खुले बाजार में मिलती है। अभियुक्तगण से कितनी मात्रा में यूरिया व नौसादर बरामद हुयी थी इसके वजन का कोई विश्वसनीय साक्षी नहीं है, चूँकि अभियोजन साक्षियों ने यह कथन नहीं किया है कि किसी तराजू आदि से बरामद यूरिया व नौसादर की मात्रा तौली गयी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के

दृष्टिगत विधि विज्ञान प्रयोगशाला की द्रव्य नमूना के संबंध में सकारात्मक आख्या प्रदर्श क–8 की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती।

21– अभियोजन के किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि घटनास्थल पर कोई व्यक्ति शराब क्रय कर रहा था। किसी भी गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं है कि उक्त बरामद शराब किसे विक्रय की जानी थी। घटना के समय घटनास्थल पर शराब विक्रय करने हेतु कोई प्लास्टिक का पाऊच या शराब नापने हेतु कोई उपकरण नहीं पाया गया। शराब पैक करने के लिए भी कोई उपकरण नहीं पाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना प्रासांगिक हैः–

विघि व्यवस्था **आशोक बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. AIR online 2021 All. 13** में यह अवधारित है कि "*there are certain ingredients which are required for constituting an offence under Section 272 I.P.C. Similarly, Section 273 requires certain ingredients to be fulfilled before the offence of adulteration can be said to be made. The ingredients are "that somebody selling food article or drinks which has been rendered noxious/unfit for consumption, with such knowledge or having reasons to believe that the same is a noxious food item. To put it differently, Sections 272/273 I.P.C. are only attracted if it is shown that the adulteration is deliberate, intentional or with knowledge. The food Act, repealed the PFA Act and occupied the entire field in respect of adulteration of food and drinks for sale. The Food Act, provisions would operate and provisions of Section 272 & 273 I.P.C. are not attracted as there is nothing on record to show that the food/drink material, seized was meant for sale. Thus, one thing is clear that nothing in the Penal Code shall affect any provisions of any Special Act and when for any act or omission in a particular subject, a special set of rules have been framed, in that situation, the provisions of the I.P.C. have to be ignored or overlooked. On a certain scrutiny of the impugned judgment and materials available on record, I am of the opinion that the prosecution in this case has failed to prove its case beyond all reasonable doubt. Two basic and important things are lacking. Firstly, there is no evidence on record to prove that the recovered item was meant for sale. Secondly, that the recovered item comes within the category obnoxious food/drink harmful for human consumption, so as to hold the appellant guilty of the offences under Section 272 IPC. At the most, offence, if any can be attributed to the appellant is under Section 60(2) of U.P.Excise Act only.*"

माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधिव्यवस्था एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धार 272 भा.दं.सं. का अपराध नहीं बनता है।

22– विधिव्यवस्था **दिनेश सिंह बनाम उ०प्र० राज्य एस.सी.सी.2009 (67) पेज 737,** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "*अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। यदि अभियोजन अपने साक्ष्य के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने का हकदार होता है।*"

23– विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू0 पी0 बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस 0 सी0 सी0 271,** में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने** यह मत व्यक्त किया है कि *"पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये है उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे है। एक अभियुक्त के पक्ष में. और दूसरा अभियोजन के पक्ष में। अतः जो विचार अभियुक्तगण के पक्ष में जा रहा है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां तक हस्तगत मामले का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये है, उससे अभियुक्त पक्ष को ही मदद मिल रही है न कि अभियोजन पक्ष को।"*

24– विधि व्यवस्था **कैलाश गौर आदि बनाम असम राज्य, ए.आई.आर. 2012(2)एस.सी.सी.34,** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि *"It is one of the fundamental principles of criminal jurisprudence that an accused is presumed to be innocent till he is proved to be guilty. It is equally well settled that suspicion howsoever strong can never take the place of proof. There is indeed a long distance between accused 'may have committed the offence' and 'must have committed the offence' which must be traversed by the prosecution by adducing reliable and cogent evidence. Presumption of innocence has been recognised as a human right which cannot be wished away."*

25– उपरोक्तवर्णित विश्लेषण के आधार पर मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा.दं.सं. के अंतर्गत लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाता है, अतः अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण वाद संख्या–937/2022, राज्य बनाम अमित सोनकर आदि, अपराध संख्या–339/2018, थाना–परसरामपुर, जनपद–बस्ती, में अभियुक्तगण अमित सोनकर, अजीत सोनकर व जितेन्द्र सोनकर को अन्तर्गत धारा 60(2), 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा.दं.सं. के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। प्रस्तुत मामलें में अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त कर जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण का माल मुकदमा बाद मियाद अवधि अपील तथा अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं.प्र.सं. का अनुपालन किया जा चुका है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाय।

(जेबा)
(जे.ओ.कोड यू.पी.–2647)
दिनांकः–13–09–2024
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–2, बस्ती।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(जेबा)
(जे.ओ.कोड यू.पी.–2647)
दिनांकः–13–09–2024
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–2, बस्ती।